



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना कोतवाली बागपत

दिनांक-07.11.2023

थाना कोतवाली बागपत पुलिस एवं SOG बागपत की संयुक्त टीम ने थाने के मु0अ0सं0 842/23 धारा 302/201/120बी/34 भादवि में वांछित 25000 रुपये के इनामी अभियुक्त पवन को बाद पुलिस मुठभेड घायलावस्था में किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक अवैध तमंचा .315 बोर मय 02 खोखा व 03 जिंदा कारतूस .315 बोर तथा मृतका की घडी व आधार कार्ड बरामद ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 02.11.2023 को थाना कोतवाली बागपत पर वादी चौकीदार श्री रणसिंह पुत्र श्रीचन्द निवासी ग्राम सिसाना थाना बागपत जनपद बागपत ने सूचना दी कि अज्ञात अभियुक्तों द्वारा एक अज्ञात महिला के शव को ग्राम सिसाना में श्मशान घाट के पास जला दिया है, जिसका अधजला शव श्मशान घाट के पास



कूडाघर में पडा है । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 842/23 धारा 302/201 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया था एवं विवेचना प्रारंभ की गयी थी ।

घटना की संवेदनशीलता के दृष्टिगत क्राइम ब्रांच की इंटेलिजेंस टीम, सर्विलांस सैल टीम, फील्ड यूनिट की टीमों सहित थाना कोतवाली बागपत की टीमों का गठन कर घटना के सफल अनावरण के लिए टास्क निर्धारित किया गया था । इसी क्रम में सभी टीमों द्वारा इलैक्टॉनिक सर्विलांस, सीसीटीवी कैमरों की पड़ताल तथा विभिन्न टीमों द्वारा 72 घंटों के मैराथन प्रयासों के पश्चात् घटना का सफल अनावरण किया गया था तथा अज्ञात मृतका की शिनाख्त मनीषा चौहान पुत्री स्व0 हर्षवर्धन निवासी गांव सदरपुर सेक्टर 45 थाना सेक्टर 39 गौतमबद्धनगर के रूप में हुयी थी । सफल अनावरण के अन्तर्गत 02 अभियुक्तों 1. विवेक चौहान उर्फ मनीष पुत्र स्व0 हर्षवर्धन, 2- शिखा पत्नी विवेक चौहान उर्फ मनीष निवासी गण ग्राम सदरपुर सेक्टर 45 थाना सेक्टर 39 गौतमबद्धनगर के नाम प्रकाश में आये थे, जिनको दिनांक 05.11.2023 को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस एवं SOG बागपत की संयुक्त टीम द्वारा थाने के मु0अ0सं0 842/23 धारा 302/201/120बी/34 भादवि में वांछित 25000 रुपये के इनामी अभियुक्त पवन को बाद पुलिस मुठभेड घायलावस्था में गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक अवैध तमंचा .315 बोर मय 02 खोखा व 03 जिंदा

कारतूस .315 बोर तथा मृतका की घडी व आधार कार्ड बरामद हुए हैं। गिरफ्तार अभियुक्त पवन की गिरफ्तारी पर श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत महोदय द्वारा 25000 रुपये का इनाम घोषित किया गया था।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली बागपत पर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

गिरफ्तार अभियुक्त पवन ने पूछताछ पर बताया कि मेरा सह अभियुक्ता शिखा से वर्ष 2019 से अफेयर चल रहा था। वर्ष 2020 में शिखा की शादी सह अभियुक्त विवेक चौहान उर्फ मनीष से होने के बाद भी मेरा शिखा के ससुराल में आना जाना लगा रहा। मृतका मनीषा को हमारे अफेयर की जानकारी हो जाने पर मृतका मनीषा ने मेरा उनके घर आने जाने का विरोध किया, जिससे मैं मनीषा से अन्दर ही अन्दर रंजिश रखने लगा। विवेक चौहान उर्फ मनीष अपनी बहन मृतका मनीषा को पैतृक सम्पत्ति में उसका हिस्सा नहीं देना चाहता था। इसी के चलते हम तीनों ने मिलकर योजना बनाई और योजना के अनुसार दिनांक 1/2/11/2023 की रात्रि में मृतका मनीषा की चुनरी से गला घोटकर उसकी हत्या कर दी। मृतका के शव को ठिकाने लगाने के लिये मैंने अपने रिश्तेदार से मांगी हुई स्विफ्ट कार नं० HR10AR2082 में शव को रखकर गांव सिसाना के शमशान घाट के पास लाकर कूड़ा घर में रखकर शव के ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगा दी थी, गांव के व्यक्तियों को आता देख मैं शव को अधजला छोड़कर कार लेकर भाग गया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

पवन पुत्र ओमपाल निवासी ग्राम सिसाना थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण-

- घटना में प्रयुक्त एक अवैध तमंचा .315 बोर मय 02 खोखा व 03 जिंदा कारतूस .315 बोर
- मृतका की घडी।
- मृतका का आधार कार्ड।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-प्रभारी निरीक्षक श्री राकेश कुमार शर्मा थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।
- 2-श्री रविन्द्र पलावत SOG बागपत प्रभारी मय टीम।
- 3-उ०नि० श्री विपिन कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।
- 4-है०का० 491 रामकुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।
- 5-का० 60 संदीप थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।
- 6-का० 44 संजीव कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।



प्रेस नोट जनपद बागपत
थाना कोतवाली बागपत

दिनांक-07.11.2023

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने चैकिंग के दौरान 02 अवैध विस्फोटक पदार्थ तस्करो को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से 127 किलोग्राम अवैध पटाखे बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं अवैध विस्फोटक पदार्थ बनाने वाले/तस्करो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान अवैध विस्फोटक पदार्थ तस्करो को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से 127 किलोग्राम अवैध पटाखे बरामद हुए हैं।



उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली बागपत पर

मु0अ0सं0 856/2023 धारा 5/9बी विस्फोटक अधिनियम पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता -

- 1-बलदेव पुत्र बरकतराम पंजाबी निवासी मौहल्ला ठाकुरद्वारा कस्बा व थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 2-राहुल पुत्र बलदेव निवासी मौहल्ला ठाकुरद्वारा कस्बा व थाना बागपत जनपद कोतवाली बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- 127 किलोग्राम अवैध पटाखे ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री कृपेन्द्र सिंह थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 2-है0का0 435 आलोक कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 3-है0का0 264 वेदपाल सिंह थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 4-का0 819 सोनू कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 5-का0 1011 देवेन्द्र कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 6-का0 1012 सत्यम यादव थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बडौत

दिनांक 07.11.2023

थाना बडौत पुलिस ने चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 22 पच्चे अवैध देशी शराब उत्तर प्रदेश मार्का बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं अवैध शराब तस्करो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 22 पच्चे अवैध देशी शराब उत्तर प्रदेश मार्का बरामद हुई है ।



उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बडौत पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

राजीव पुत्र रामवीर निवासी ग्राम लोयन मलकपुर थाना बडौत जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- 22 पच्चे अवैध देशी शराब उत्तर प्रदेश मार्का ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री कपिल कुमार थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 2-का0 814 अमित नागर थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 3-का0 1102 सुशान्त सिंह थाना बडौत जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बिनौली

दिनांक 07.11.23

थाना बिनौली पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 165/23 धारा

147/148/149/307/352/323/336/324/427 भादवि में वांछित 02 अभियुक्तों को
किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 29.06.2023 को थाना बिनौली पर वादी अनीस पुत्र हामिद अली निवासी ग्राम दौझा थाना बिनौली जनपद बागपत ने तहरीर दी कि ग्राम दौझा में अभियुक्तगण 1.राशिद पुत्र मेहरदीन, 2.आलम पुत्र ताहिर, 3.अमन पुत्र रासिद, 4.रहीमू पुत्र साबू, 5.शकील पुत्र साबू, 6.ताहिर पुत्र मेहरदीन व अन्य



10 से 15 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा अपने हाथों में लाठी-डण्डे, पत्थर, तमंचा व चाकू लेकर मस्जिद पर चढकर आसपास रहने वाले लोगों पर जान से मारने की नियत से हमला किया गया तथा गाडी नं0 DL 3C BR 3390 पर ईंट बरसाकर क्षति ग्रस्त कर दिया । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बिनौली पर मु0अ0सं0 165/23 धारा 147/148/149/307/352/323/336/324/427 भादवि पंजीकृत किया गया ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बिनौली पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 165/23 धारा 147/148/149/307 /352/323/336/324/427 भादवि में वांछित 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

नोट- उपरोक्त अभियोग में थाना बिनौली पुलिस द्वारा दिनांक 30-06-2023 को 05 अभियुक्तों व दिनांक 23-07-2023 को 01 अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1-शाहरुख पुत्र अख्तर निवासी गण ग्राम दौड़ा उर्फ जहानगढ थाना बिनौली जनपद बागपत ।

2-अबरार पुत्र सम्मे उर्फ सम्मेदीन निवासी गण ग्राम दौड़ा उर्फ जहानगढ थाना बिनौली जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-प्रभारी निरीक्षक महेन्द्र पाल सिंह थाना बिनौली जनपद बागपत ।

2-उ०नि० श्री दिव्य कुमार थाना बिनौली जनपद बागपत ।

3-है०का० 399 वीरपाल सिंह थाना बिनौली जनपद बागपत ।

4-हो०गा० 470 मौहम्मद आलम जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना खेकड़ा

दिनांक 07.11.2023

थाना खेकड़ा पुलिस ने 01 वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकड़ा पुलिस द्वारा 01 वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार वारंटी अभियुक्तों का नाम व पता:-

सन्नी पुत्र राजवीर सिंह उर्फ कालूराम निवासी ग्राम नगला बडी थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम:-

1-उ०नि० श्री मुकेश कुमार थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।

2-है०का० 53 रविन्द्र कुमार थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत
थाना सिंघावली अहीर

दिनांक-07.11.2023

थाना सिंघावली अहीर पुलिस ने चैकिंग के दौरान अवैध विस्फोटक पदार्थ बनाने वाले 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से 171 किलोग्राम बने/अधबने अवैध पटाखे बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं अवैध विस्फोटक पदार्थ बनाने वाले/तस्करों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना सिंघावली अहीर पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान अवैध विस्फोटक पटाखे बनाने वाले 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से 171 किलोग्राम बने/अधबने अवैध पटाखे बरामद हुए हैं ।



उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना सिंघावली अहीर पर अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता -

- 1-सादिक पुत्र वली मौहम्मद निवासी ग्राम हुसैनपुर कलां थाना बुढ़ाना जनपद मुजफ्फर नगर ।
- 2-अश्विनी उर्फ लल्लू पुत्र ब्रजमोहन नि0 कस्वा अमीनगर सराय थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- 171 किलोग्राम बने/अधबने अवैध पटाखे ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री उ0नि0 विकास कुमार थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।
- 2-है0का0 456 मनोज शर्मा थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।
- 3-का0 666 रघुवीर सिंह थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।
- 4-का0 594 सरफराज खान थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।